कार्यालय जिलाधिकारी खगड़िया

(जिला विद्युत शाखा)

विद्युत ठिकेदार, विद्युत पर्यवेक्षक, वायरमैन/तार मिस्त्री के लाईसेन्स प्राप्त करने से संबंधित सूचना

एतद् द्वारा सभी सर्वसाधारण को सचित किया जाता है कि सचिव, ऊर्जा बिभाग, बिहार सरकार, पटना के अधिसूचना संख्या–276/स०को० दिनांक 08.07.2013 एवं विद्युत अधिनियम 2003 के धारा–177 के उपधारा (2बी०) के तहत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियम–2010 (विद्युत सुरक्षा एवं आपूर्ति संबंधी उपाय) के विनियम 29 के आलोक के गठित लाईसेन्सींग बोर्ड द्वारा विद्युत ठिकेदार, विद्युत पर्यवेक्षक, वायरमैन/तारमिस्त्री के लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु इच्छुक एवं आर्हताधारी योग्य अभ्यार्थियों को विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित की जाती है। इच्छुक अभ्यार्थी आवेदन का विहित प्रपत्र किसी भी कार्य दिवस पर उपविकास आयुक्त–सह–सचिव, विद्युत लाईसेंस बोर्ड खगड़िया के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है। विद्युत ठिकेदार, विद्युत पर्यवेक्षक, वायर मैन/तार मिस्त्री के लाईसेंस प्राप्त करने हेतु योग्यता निम्नवत् है:–

विद्युत ठिकेदार हेतु योग्यता:–

दो परमिटधारी तारमिस्त्री तथा एक प्रमाण पत्रधारी पर्यवेक्षक का प्रमाण पत्र संलग्न करा होगा।
लगातार तीन वर्षो तक नवीनकरण नहीं किये गये तो लाईसेंस बोर्ड द्वारा लाईसेंस रदद कर दिया जायेगा।
ठिकेदार अनुज्ञा पत्र की क्षमता एवं कार्य उनके द्वारा नियोजित पर्यवेक्षक के क्षमता प्रमाण पत्र की सीमा के अंतर्गत होगा।
ठिकेदार अनुज्ञा पत्र किसी फर्म अथवा किसी विशेष व्यक्ति के नाम पर लिया जा सकेगा। इसके लिये तीन अभिप्रमाणित फोटो एवं दो सम्रांत व्यक्तियों का पहचान देना होगा।
आवासीय प्रमाण पत्र।
इसके लिये 250.00 रूपये (दो सौ पचास रूपये मात्र) का डी०डी० जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष, विद्युत लाईसेंसिग बोर्ड , खगड़िया के पदनाम से देना होगा।

विद्युत पर्यवेक्षक हेतु योग्यता

विद्युत अभियंत्रण प्रामण पत्र,
विद्युत डिप्लोमा प्रमाण पत्र एवं दो वर्षो का विद्युत कार्य अनुभव
दो वर्षीय इलेक्ट्रिशियन/वायरमैन (प्ज्प्) के उत्तीर्ण के साथ चार वर्षो का विद्युत संयंत्रों का रख–रखाव का ज्ञान
मैट्रिक या समकक्ष के बाद छः वर्षो का विद्युत संयंत्रों का रख–रखाव, अधिष्ठापन का ज्ञान।
सचरित्र प्रमाण पत्र पॉच वर्षो का उत्तरदायी व्यक्ति का होना।
शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
तीन फोटो संलग्न करना आवश्यक है।
आवासीय प्रमाण पत्र।
इसके लिये 100 रूपये (एक सौ रूपये मात्र) का डी०डी० जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष, विद्युत लाईसेंसिग बोर्ड , खगड़िया के पदनाम से देना होगा।

तारकर्मी हेतु योग्यता:

विद्युत संबंधित कार्य का एक वर्ष का व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक है।
शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
सचरित्र प्रमाण पत्र पॉच वर्षो का उत्तरदायी व्यक्ति का होना आवश्यक है।
अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
तीन फोटो संलग्न करना आवश्यक है।
आवासीय प्रमाण पत्र।
इसके लिये 25 रूपये (पच्चीस रूपय मात्र) का डी०डी० जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष, विद्युत लाईसेंसिग बोर्ड , खगड़िया के पदनाम से देना होगा।

दिनांक 17.03.2021 से 31.03.2021 के संध्या 05 बजे तक आवेदन हाथों हाथ या निबंधित डाक से उप विकास आयुक्त–सह–सचिव, विद्युत लाईसेंस बोर्ड खगड़िया के कार्यालय में जमा अथवा भेजा जा सकता है।
विशेष जानकारी के लिये से उप विकास आयुक्त–सह–सचिव, विद्युत लाईसेंस बोर्ड खगड़िया के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष
विद्युत लाईसेन्सिंग बोर्ड, खगड़िया